

राज्यपाल सचिवालय,
झारखण्ड, राँची

नियुक्ति हेतु विज्ञापन

एतद् द्वारा राजभवन, झारखण्ड, राँची अंतर्गत संविदा के आधार पर उद्यान मजदूर के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उक्त पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित विस्तृत सूचना एवं शर्तें यथा – पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता एवं सेवा शर्त, संविदा पर नियुक्ति की शर्त, चयन का मापदण्ड एवं प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र की प्रति राजभवन, झारखण्ड, राँची के Website (www.rajbhavanjharkhand.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि – **04.04.2025** है।



(सागर कुमार)

उप सचिव,

राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची।

उद्यान मजदूर के संविदा आधारित पद पर नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञापन

एतद् द्वारा राजभवन, झारखण्ड, राँची अंतर्गत संविदा के आधार पर उद्यान मजदूर के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पद पर अर्हताधारी इच्छुक आवेदक राजभवन, झारखण्ड, राँची के **Website (www.rajbhavanjharkhand.nic.in)** से आवेदन पत्र की प्रति download कर उसे भरते हुए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची को Offline माध्यम से समर्पित करेंगे। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता एवं सेवा शर्त -

- इस पद को संविदा के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा संविदा के आधार पर भरा जायेगा।
- उद्यान मजदूर के पद पर नियुक्ति हेतु Educational Qualification and Experience निम्नवत् होगा :-

पदनाम	पद की संख्या	आरक्षण कोटि	वेतनमान	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
उद्यान मजदूर	02 (दो)	अनारक्षित-02	लेवल-1	➤ न्यूनतम 10वीं पास। ➤ राजभवन/ मुख्यमंत्री आवास एवं राज्य सरकार अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय में उद्यान संबंधी कार्यों का 05 वर्ष का कार्य अनुभव। उद्यान का क्षेत्रफल 05 से 10 एकड़ होना चाहिए।

- चयन उपरांत संबंधित कर्मियों को मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्र के आलोक में किया जायेगा।

3. भर्ती हेतु आयु सीमा :-

- आयु की गणना हेतु कट ऑफ तिथि - 04.04.2025
- न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।
- अधिकतम आयु सीमा श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है:-
 - सामान्य श्रेणी: 35 वर्ष
 - अत्यंत पिछड़ी जाति (EBC-I) और पिछड़ी जाति (BC-II): 37 वर्ष
 - महिला उम्मीदवार (अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 38 वर्ष
 - अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (पुरुष और महिला): 40 वर्ष

4. संविदा पर नियुक्ति की शर्त :-

- संविदा के आधार पर नियुक्ति 01 वर्ष के लिए की जायेगी। एक वर्ष के पश्चात् कार्यरत कर्मियों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार उनकी सेवा अवधि एक-एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी।
- उपर्युक्त पद पर कार्यरत कर्मियों का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उक्त कर्मियों का अनुबंध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल सचिवालय आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन कर सकता है।

- iv) संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश (CL) देय होगा, परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

5. चयन का मापदण्ड एवं प्रक्रिया :-

- i) वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे जो कंडिका - 2 में उल्लेखित योग्यता धारित करते हो।
- ii) आवेदन प्राप्त होने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की Scrutiny कार्यालय द्वारा की जायेगी, जिसके उपरांत साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को Shortlist किया जायेगा।
- iii) चयन समिति द्वारा Shortlisted अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। उक्त साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थी के नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी।

6. आवेदन की प्रक्रिया :-

- i) इच्छुक उम्मीदवार राजभवन, झारखण्ड, राँची के Website (www.rajbhavanjharkhand.nic.in) से आवेदन हेतु विहित प्रपत्र की प्रति download करेंगे। आवेदक विहित प्रपत्र को भरकर आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व राज्यपाल सचिवालय, चतुर्थ तल, सूचना भवन, राँची को समर्पित करेंगे।
- ii) आवेदक विहित प्रपत्र को स्वयं भी टंकित करा कर भर सकते हैं।
- iii) आवेदक आवेदन पत्र के साथ मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अन्य योग्यता तथा कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्राणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।
- iv) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि **04.04.2025** होगी।

7. अन्यान्य :-

- i) चयन प्रक्रिया के दौरान अनजाने में किसी भी प्रकार की हुई त्रुटि के मामले में, जो नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात भी किसी भी चरण में कार्यालय के संज्ञान में आता है, तो अभ्यर्थी के चयन को संशोधित करने, वापस लेने अथवा रद्द करने का अधिकार राज्यपाल सचिवालय के पास सुरक्षित होगा।
- ii) चयन की प्रक्रिया में होने वाले किसी भी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में राज्यपाल सचिवालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- iii) आवेदन की छूटनी, चयन एवं साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये जाने के कारणों के बारे में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- iv) राज्यपाल सचिवालय के पास पदों की संख्या बढ़ाने, घटाने एवं आवश्यकतानुसार विज्ञापित रिक्ति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- v) साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को कोई TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।
- vi) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व ससमय आवेदन समर्पित कर लें।



(सागर कुमार)

उप सचिव,
राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड,
राँची।

उद्यान मजदूर के पद पर आवेदन हेतु विहित प्रपत्र

1. आवेदक का नाम —
2. लिंग —
3. पिता/पति का नाम —
4. जन्म तिथि —
5. पहचान चिन्ह —
6. स्थाई पता —
7. पत्राचार का पता—
8. मोबाईल नं०—
9. ई-मेल आईडी0 —
10. शैक्षणिक योग्यता —
11. कार्य अनुभव —
12. सेवाकाल में विभागीय कार्यवाही/दण्ड/निगरानी संबंधी कार्रवाई की स्थिति (हाँ/नहीं) —
(अगर हाँ तो उसकी विवरणी)

पासपोर्ट साईज
फोटो

तिथि —

स्थान —

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाना में कोई काण्ड दर्ज नहीं है एवं ना ही किसी फौजदारी के मामले में मैं दण्डित हूँ।

उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है, किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर